

Rural Studies (RM&D)
Patna University
Semester-I

Indian Rural Society & Rural Administration
Course/ Paper Code:-CC-1 Unit-5- Panchayati Raj
(E-content)

Dr. Shashi Gupta
Assistant Professor (Guest Faculty)
P.G. Department of Rural Studies (RM&D)
Patna University
Mobile No.:9472240600
Email: drsgupta01@gmail.com

भूदान आंदोलन

परिचय

ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। भूदान का सीधा सा अर्थ है भूमि का जमीन का दान देना, जो लोग भूमिहीन हैं और जिनके पास जीवन यापन का और कोई साधन नहीं है, ऐसे लोगों को स्वेच्छा से भूमि दान करना ही भूदान है। विनोबाजी इसे यज्ञ की संज्ञा देते थे, अतः इसे भूदान यज्ञ कहते हैं।

वे भूदान आंदोलन के द्वारा संपूर्ण समाज व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते थे। विनोबाजी को भूदान की प्रेरणा 1951 में उस समय मिली जब वे हैदराबाद के तेलंगाना जिले की यात्रा कर रहे थे। इस क्षेत्र को कम्युनिस्टों ने अपना कार्य क्षेत्र बना रखा था। वहां कई भूस्वामियों को अपनी भूमि और जान से हाथ धोना पड़ा। विनोबा जी ने भूदान को कम्युनिस्ट कार्यक्रम के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। जब विनोबाजी 18 अप्रैल, 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में पहुंचे तो उन्हें भूमिहीन हरिजनों ने घेर लिया और अपनी व्यथा कथा सुनाई और बताया कि न तो हमारे पास काम है और न ही जमीन। यदि हमें 80 एकड़ भूमि कृषि के लिए मिल जाए तो हम अपनी दशा को सुधार ले। विनोबा जी ने सोचा क्या मैं इसके लिए सरकार से भूमि मांगू। परंतु बाद में उन्होंने वहां उपस्थित जनसमूह के सामने अपनी मांग रखी। उसी समय रामचंद्र रेड्डी नामक एक भूस्वामी ने अपनी 100 एकड़ भूमि हरिजनों के लिए दान कर दी। उसके बाद से ही विनोबा जी ने अपना भूदान यज्ञ प्रारंभ किया। उन्होंने हिसाब लगाया कि यदि पांच एकड़ भूमि दान से प्राप्त कर ली जाती है तो वह देश के भूमिदान के लिए पर्याप्त होगी। इसी उद्देश्य से उन्होंने गांव-गांव में घूमकर भूमि दान के लिए लोगों को प्रेरित किया। 1952-54 में इस आंदोलन में खूब जोर पकड़ा और तीन करोड़ एकड़ भूमि उन्होंने भूदान में एकत्रित की। 1953 में सर्वाधिक भूमि बिहार में प्राप्त हुई। भूदान आंदोलन हृदय परिवर्तन में विश्वास रखता है। कम्युनिस्ट देशों से भी विनोबाजी को भूदान की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। बिहार राज्य अंतर्गत भूदान से प्राप्त भूमि का पुनर्वितरण बिहार भूदान यज्ञ कमेटी के माध्यम से किया जाता है। बिहार सरकार के राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार भूदान से प्राप्त कुल भूमि 6.48.593.14 एकड़ में से 3.45.380.88 एकड़ भूमि संपुष्ट की गई है। अभी तक 2.56.366.22 एकड़ जमीन वितरित की जा चुकी है। वितरण के योग्य शेष बची हुई 6.112.55 एकड़ भूमि के वितरण का कार्य कमेटी द्वारा किया जा रहा है। बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, जिससे भूदान भूमि के पुनर्वितरण एवं इससे जुड़े अन्य कार्यों पर व्यय की प्रतिपूर्ति होती है।

भूदान का लक्ष्य

भूदान द्वारा भूमि पुनर्वितरण का कार्य किया जाना है। विनोबा जी ने भूदान के तीन लक्ष्य निर्धारित किए थे:

(1) गांव में शक्ति का विकेंद्रीकरण।

(2) प्रत्येक व्यक्ति का भूमि और संपत्ति पर अधिकार हो।

(3) मजदूरी में भेदभाव नहीं बरता जाए।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विनोबाजी गांव-गांव में घूमकर भूमि दान के लिए लोगों से अपील करते थे।

भूदान यज्ञ का कार्यक्रम

(1) भूदान यज्ञ लोगों को यह सोचने को प्रेरित करता है कि वे अपने से पहले अपने पड़ोसियों के बारे में सोचें। यदि वे भूमिहीन हैं तो उन्हें भूमि दी जाए।

(2) भूदान का लक्ष्य केवल भूमि का पुनर्वितरण ही नहीं है, वरन् संपूर्ण राष्ट्र का नैतिक उत्थान करना भी है। साथ ही साथ इससे लोगों की आर्थिक कठिनाइयां भी हल हो सकेगी।

(3) भूदान का एक लक्ष्य ग्रामीण उद्योगों को पुनर्जीवित करना है जिससे कि ग्रामों की बेकारी की समस्या को हल किया जा सके। बिना भूमि के समान वितरण के ग्रामीण उद्योगों का सुचारू रूप से संचालन संभव नहीं है।

(4) भूदान के अंतर्गत एक कार्यक्रम यह भी है कि शिक्षितों और अशिक्षितों को साथ साथ काम करने का अवसर प्रदान किया जाए जिससे कि उनके बीच पाई जाने वाली खाई दूर की जा सके। भूदान शिक्षकों में श्रम के प्रति प्रेम पैदा करना चाहता था। इसलिए श्रमदान भूदान का एक आवश्यक अंग है। इससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। भूदान में प्राप्त परती भूमि को श्रमदान एवं छात्रों के सहयोग से कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया।

(5) काम के साथ-साथ विनोबाजी संपत्ति दान भी चाहते थे। देश की अधिकांश संपत्ति सोने चांदी के रूप में मृत पड़ी हुई है। राष्ट्र को इसका लाभ मिलना चाहिए। जिन लोगों के पास इस प्रकार की संपत्ति है, उसका एक भाग दान के रूप में दे दें।

भूदान का महत्व

1. इससे भूमि पुनर्वितरण की समस्या बिना किसी प्रकार की हिंसा के हल हो सकेगी।

2. भूमिहीनों की आर्थिक दशा में सुधार होगा।

3. परती भूमि पर उत्पादन होने लगेगा।

4. दान से प्राप्त भूमि के लिए मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, इससे राज्य पर खर्च भार नहीं पड़ेगा।

5. इससे सहकारी कृषि को बढ़ावा मिलेगा।

6. धनिकों व निर्धनों के बीच अंतर समाप्त होगा तथा वर्गहीन व शोषित समाज की स्थापना हो सकेगी।

भूदान की कमियां

भूदान के उद्देश्य महान थे, किंतु इस कार्यक्रम को भी अधिक सफलता नहीं मिल सकी। इसके लिए कई कारक उत्तरदायी थे। जो इस प्रकार हैं:-

1. भूदान में दी गई अधिकांश भूमि पथरीली, अनुपजाऊ व कृषि की दृष्टि से पिछड़ी हुई थी अथवा उस भूमि पर मुकदमा चल रहा था। जो भूमि दी गई वह ऐसी थी, जिस पर कानूनी रूप से दान देने वाले का हक समाप्त हो गया था या जो सीलिंग कानून व जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत सरकार के अधिकार में आ रही थी। ऐसी भूमि के पुनर्वितरण में कानूनी बाधाएं थीं। भूमि पुनर्वितरण में कई लोगों ने अपने प्रभाव का प्रयोग किया। कुछ स्थानों पर तो पुनर्वितरण में अनावश्यक देरी की गई।
2. भूदान की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि इसमें केवल धनिकों और भू स्वामियों से अपील की गई। गरीब व भूमिहीनों को भी इस बात के लिए जागरूक करना चाहिए था कि उन्हें भूमि की आवश्यकता है तथा उन्हें दी गई भूमि जमींदार उससे पुनः छीन न लें।
3. जिन लोगों को भूमि दी गई, उनके पास कृषि करने के लिए तो आवश्यक उन्नत कृषि औजार ही थे और ना ही संपत्ति। परिणामस्वरूप कृषि की उपज बहुत गिरी हुई दशा में रही। साधनों के अभाव में बहुत सारी भूमि पर तो कृषि कार्य ही नहीं किया गया।
4. भारत में पहले से ही भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। भूदान के कारण ऐसे टुकड़ों की संख्या और भी बढ़ गई। इस आंदोलन की प्रगति बहुत धीमी रही, जिससे भूदान के लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत समय लग जाने की संभावना है।

निष्कर्ष

भूदान केवल भूमि के पुनर्वितरण का कार्यक्रम नहीं है बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति लाने का गांधीवादी तरीका है यह नवजीवन का सिद्धांत व व्यवहार है, यह एक नवीन सामाजिक दर्शन है या एक नवीन मानवता व नवीन सभ्यता का सूत्रपात है। भूदान केवल भूमि के पुनर्वितरण से संबंधित नहीं है बल्कि इसका लक्ष्य ग्रामीण उद्योगों को पुनर्जीवित करना बेकारी की समस्या को हल करना गांव में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना या उन लोगों के श्रम की प्रति आकर्षण पैदा करना भी है।

ग्रामदान आंदोलन

परिचय

भूमि के रूप में व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त करने का भूदान आंदोलन का अगला कदम ग्रामदान है। जब पूरा का पूरा गांव अपने निवासियों की भूमि पर अलग-अलग स्वामित्व को त्यागकर ग्राम सभा का स्वामित्व स्वीकार कर लेता है और भूमिहीनों की समस्या समाप्त करने का संकल्प कर लेता है, तो ग्रामदान कहलाता है। इसका प्रारंभ 1952 में उत्तर प्रदेश के **मेनग्रोथ** गांव के लोगों द्वारा किया गया। इस आंदोलन का प्रसार उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार सहित 11 प्रांतों में अधिक रहा। ग्रामदान के द्वारा समाज पुनर्निर्माण और आर्थिक उत्थान करके समाज का निर्माण करना है जिसमें सहयोग और समानता व्यक्त ह[®]। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक व शोषण करने की समाज-व्यवस्था समाप्त करना है। कम्युनिस्ट चीन में आर्थिक समानता लाने के लिए शक्ति का प्रयोग किया गया। भारत को बचाने के लिए विनोबाजी ने ग्रामदान के रूप में विकल्प प्रस्तुत किया। ग्रामदान का उद्देश्य केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं है बल्कि मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी है।

ग्रामदान के उद्देश्य

इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो। इसमें ग्रामीण लोग अपनी आवश्यकता को जिसे वे स्वयं महसूस करते हो, उसके लिए योजना बनाएं और उसे सभी के सहयोग से पूरी करें। यह ऐसा कार्यक्रम है जो ग्रामवासियों पर ऊपर से थोपा नहीं जाता है बल्कि उसका निर्णय वे स्वयं लेते हैं। इस कार्य में सर्व सेवा संघ उनका मार्गदर्शन व सहायता करने का कार्य करता है। इस कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन भौतिक उपलब्धियों से व खर्च की गई धनराशि के आधार पर नहीं बल्कि लोगों में निरहित स्वयं की सहायता करने की क्षमता, सहयोग और लोगों की उत्तरदायित्व महसूस करने की भावना के आधार पर किया जाता है।

ग्रामदान कार्यक्रम

उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रामदान में निम्नलिखित कदम उठाए जाने की योजना तैयार की गई:

- (1) उन भूमिहीनों को जि^Ugsa भूमि वितरित की गई है बसल व औजार खरीदने के लिए सहायता प्रदान करना। इसमें फसल को योजनाबद्ध रूप से बोनो का प्रावधान भी है। इसमें साथ ही भूरक्षण एवं भूमि व्यवस्था करने की योजना भी सम्मिलित की गई है।
- (2) सहकारी समितियों का संगठन- लोगों को साह^qकार" व व्यापारियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी जिससे सभी ग्रामीण लोग सदस्य होंगे। यह समिति उनके आयात- निर्यात, साख, खकद, बीज, ऋण आदि की व्यवस्था करेगी।

(3) ग्राम भूमि की सिंचाई की व्यवस्था करना, इसके लिए कूप, तालाब, नहर, नलकूपों आदि का प्रबंध करना ।

(4) खक्ति कार्यक्रम को अपनाया जाएगा । गांव में चरखो का निर्माण किया जाएगा व कताई- बुनाई के द्वारा ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा । इसके साथ ही तेल निकालने, बर्तन बनाने, साबुन बनाने और चमड़ा उद्योग आदि को भी प्रारंभ करके ग्रामीणों को बेकारी से मुक्ति दिलायी जाने व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाएगा।

(5) शिक्षा- ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा । सुथारी, लुहारी, कुम्हारी, पशुपालन व कृषि आदि का इस शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया जाएगा । रात्रि पाठशाला द्वारा प्रोढ़ो को साक्षर बनाया जाएगा ।

(6) ग्रामीणों की जन- स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियमों से परिचित कराकर उनके लिए सफाई का प्रबंध किया जाएगा । शराब का प्रयोग न करने के लिए भी ग्रामीणों को समझाया जाएगा । इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामदान ग्रामीण पूर्णनिर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत करता है यदि पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ इसे गांव में अपनाया जाता है तो निश्चय ही गांव की सामाजिक एवं आर्थिक दशा में **आमूल चुल परिवर्तन होंगे**

ग्रामदान के लिए 4 शर्तें रखी गई हैं-

- भूस्वामी अपनी भूमि का कम से कम 20 वां भाग गांव के भूमिहीनों में बांटे।
- शेष भूमि भूस्वामियों के पास रहेगी, लेकिन उसका स्वामित्व ग्राम सभा के पास होगा।
- भूमिपति अपनी उपज का 40 वां भाग ग्राम कोष में जमा करेगा जिसका उपयोग निराश्रित व अनाथों के लिए तथा गांव की शिक्षा एवं आर्थिक उन्नति के लिए किया जाएगा ।
- गांव के प्रत्येक परिवार एक व्यक्ति अथवा प्रत्येक वयस्क को सम्मिलित कर एक ग्राम सभा का गठन किया जाएगा जो सर्वसम्मति से गांव के सारे काम करेगी।

निष्कर्ष

ग्राम दान के द्वारा समाज का निर्माण और आर्थिक उत्थान करके ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें सहयोग और समानता व्याप्त हो । इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक शोषण वाली समाज व्यवस्था को समाप्त करना है।